न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–474/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00379)

01. बंशी दत्तक पुत्र धन्ना,
02. रामनारायण,
03. संतोष कुमार,
04. मालीराम पुत्रान कानाराम,
05. नेमीचन्द पुत्र पुरा,
06. कल्याण दत्तक पुत्र खांगा,
07. रामदेव पुत्र श्री नन्दा,
08. सुवा पुत्र जमना,
10. बाबूलाल,
11. शैतान,
12. प्रभू,
13. छोटू पुत्रान श्री गणेश,
14. मूलचन्द,
15. श्रवण,
16. प्रहलाद,
17. शंकर पुत्रान श्री देवाराम,
18. कैलाश पुत्र श्री राधेश्याम,
19. मनोहर पुत्र श्री राधेश्याम, समस्त जाति अहीर, निवासीयान रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ––जिला जयपुर।
2. माफी मंदिर श्री गोपाल जी रेनवाल जरिये पुजारी

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 15.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के आदेश दिनांक 25.05.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर जागीरदारी के समय से जागीर गांव था तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 160, 170, 416, 417, 418, 420, लगायत 424 धारा 9 के तहत भूमि नानगा व खांगा वल्द निर्भय जमना वल्द

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

नवला जाति अहीर के नाम खातेदारी दर्ज की गई जिसका स्पष्ट उल्लेख भू–प्रबंध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त 2011 से 2019 के कॉलम संख्या 5 में अंकित हैं, जो जमाबन्दी कृषको का राईट ऑफ रिकार्ड सम्वत् 2011 से 2019 में उक्त भूमि नानगा व खांगा वल्द निर्भय, जमना वल्द नवला, जाति अहीर के खातेदारी काश्तकार दर्ज हैं। इस प्रकार इन्हें आनुवांशिक एवं पूर्ण अन्तकरण के कानूनी अधिकार प्राप्त थे जिनका बिना, सुनवाई एवं विधिक प्रक्रिया के विलोपन नहीं किया जा सकता, उपयोक्त खातेदार कृषको/वारिसान ने भूमि नानगा व खांगा वल्द निर्भय, जमना वल्द नवला जाति अहीर का फौती नामान्तरकरण के आधार पर प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खोला गया, जिसका नामान्तरकरण प्रार्थीगण के नाम खुलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका था तब से प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं तथा निरन्तर काबिज काश्त हैं, जिनका इन्द्राज खाता संख्या 290, 291, 292 व खसरा परिवर्तन होकर खसरा नम्बर 160, 170, 416, 417, 418, 420 लगायत 424/1, 424/2 जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में ही प्रार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण की बिना सुनवाई व विधिक का आदेश उक्त वादग्रस्त आराजी का दिनांक 02/08/2004 को नामान्तरकरण संख्या 2574 से राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13/12/1991 का हावला देकर मन्दिर माफी श्री गोपालजी के नाम अंकन कर दिया जबकि यह भूमि कभी भी माफी मन्दिर श्री गोपालजी के कब्जे व खुदकाश्त में नहीं रही। उपर्युक्त आराजीयात की खातेदारी सम्वत् 2059 से 2062 में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हैं, तथा प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु लिपिकीय भूल से राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को माफी मन्दिर श्री गोपालजी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि माफी मन्दिर श्री गोपालजी का प्रार्थीगण की उपर्युक्त भूमि से कभी कोई संबंध नहीं रहा, आज भी कब्जा काश्त प्रार्थीगण का चला आ रहा हैं। उन्होने कथन किया है कि केवल मात्र खातेदारी रिकार्ड में लिपिकीय भूल से खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज कर दी गई जिसका दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रार्थीगण ने उनके खातेदारी में लिपिकीय व भूल से हुई गलती को दुरूस्त करवाने हेतु कई बार पटवारी हल्का से निवेदन किया किन्तु वह हर बार आश्वासन देते रहे और उक्त दुरूस्ती नहीं की गई, जिसके बाद प्रार्थीगण ने तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल से उपयोक्त दुरूस्ती करने को कहा लेकिन उनके द्वारा आज तक प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दुरूस्ती नहीं की गयी जबकि प्रार्थीगण दिनांक 17/6/2014 को तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल से प्रार्थीगण की खातेदारी में लिपिकीय भूल से हुई गलती को दुरूस्त कर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित करने को कहा तो उन्होंने न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। इसलिये प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के वास्तविक तथ्यों को बिना समझे ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

14
संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है माफी मंदिर की भूमियों पर कृषक को मंदिर का उपकृषक मानकर खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान कर स्पष्ट किया है कि जो भूमिया जागिरदार की खुदकाश्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित न होकर कृषक द्वारा काश्त की जाती है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है, उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 1955(1) एस.सी.सी. 612 में जागीर की भूमि पर कृषक जिनका नाम खसरा गिरदावरी में अंकित था जो उपकृषक मानकर जागीर अधिनियम की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदार काश्तकार माना है। धारा 9 जागीर अधिनियम के अनुसार उसके अधिकार हैरीटेवल व ट्रांसफरेवल होना मातने हुये जागीर की भूमि पर काश्त करने वाले को भूमि वादग्रस्त का खातेदार काश्तकार माना हैं। उन्होने कथन किया है कि धारा 10 जागीर अधिनियम 1952 का मुख्य आधार जागीर पुर्नग्रहण के वक्त दिनांक 01.07.1963 को भूमि जागीररदार/माफीदार की खुदकाश्त होना परम आवश्यक है जबकि भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त 2011 से 2019 के कॉलम संख्या 5 में व जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 व 2067 से 2070 जागीर रिजम्पशन के दिन भूम वादग्रस्त पर कब्ज स्पष्ट करने के लिये पेश की है जिसमें अपीलान्ट का नाम कॉलम संख्या 5 में दर्ज है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन के आधार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 में दिये गये है जिसके तहत धारा 135 में तहसीलदार आज्ञा प्रसारित कर सकते है तहसीलदार द्वारा उक्त विवादित भूमि को माफी मंदिर की मानते है तो उन्हे सम्वत् 1925 में इनाम की आज्ञा उसके पश्चात् राजस्व अभिलेख मे अभिलिखित इन्द्राज को चैलेन्ज करना चाहिये था जो धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही हो सकता था, विभिन्न न्यायिक निर्णयों को माननीय उच्च न्यायालय ने तय किया है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी निन्दा नही की जा सकती है तथा सुनवाई के बिना उसके विपरित किसी भी प्रकार का आदेश पारित नही किया जा सकता तथा भूमि में खातेदारी अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है तथा ऐसे अधिकारों को सम्बन्धित पक्षकारों को सुने बिना निरस्त नही किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को बिना सुने उसके खातेदारी अधिकारों को निरस्त नही किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों को के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 खारिज किया जाकर अपीलान्ट की खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2 नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

P.T.O.

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का अवलोकन किया किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 170, 416 से 418, 420 से 424 गोपाल जी रघुनाथ माफी की जागीर में स्थित रही है एवं कृषक के खाना नम्बर पॉच में नानगा व खांगा पि. निर्भय व जमना वल्द नवला काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही थी तथा नानगा व खांगा पि. निर्भय व जमना वल्द नवला की काश्तकारी की भूमि थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है, में स्पष्ट निणर्य दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप मे प्रदत्त जागीर की भूमि जिसमें मंदिर खुदकाश्त नही है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगें तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसमें में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसी प्रकार इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरूस्त की जाऐ जिससे स्पष्ट है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व 25.11.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो नानगा व खांगा पि. निर्भय व जमना वल्द नवला की खातेदारी में थी तथा उसके बाद नानगा व खांगा पि. निर्भय व जमना वल्द नवला के वारिसान अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रही है उसे उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेन्स के मंदिर श्री गोपाल जी की खातेदारी में जरिये नामान्तररण संख्या 2574 दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तरकरण परिपत्र क्रमांक प.12(22)देव/91/दिनांक 06.03.2003 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी विलोपित करने को कोई निर्देश प्रदान नही किया गया है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध था तथा उक्त अवैध आदेश को चुनौती दिये जाने पर मियाद का बिन्दु कोई बाधक नही है,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

वादग्रस्त नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधि विरूद्ध स्वीकार किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलााधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 2574 वाके ग्राम रेनवाल पर उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 को अपीलार्थी की आराजी खसरा नम्बरान 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान की आराजी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर